RNI NO. : MAHHIN/1998/02261

महाराष्ट्र क्राईम्स

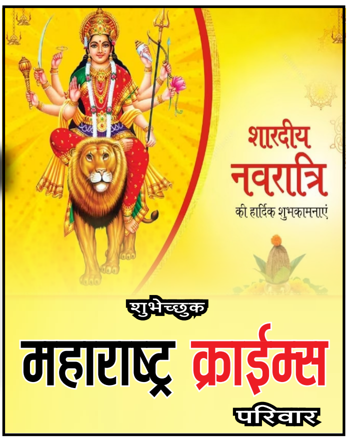

वर्ष 22 | अंक 12 | मुंबई, 05 अक्टूबर, 2023 | पृष्ठ : 8 | कीमत : 5 रुपये | प्रधान संपादक : सिराज चौधरी

महाठग रवी राजन पांडीयन उर्फ आर.आर.पांडियन पर मुंबई पुलिस में २७ एफ. आई. आर. दर्ज

मुंबई पुलिस इस अपराधी को कब करेगी तडीपार?

संवाददाता : मुंबई, बीते कई वर्षो से चेंबुर में राष्ट्रीय भिम सेना के नाम पर बाबा साहेब आंबेडकर के आदर्शो पर चलने वाले और समाज में समाज सुधारक और पुण्यतीथी दिवस पर ड्राय डे की मांग करने वाले नीला चोला पहन कर गरीब जनता को गुमराह करके महाठगी करने वाले आर. आर.पांडीयन को आर.सी.एफ. पुलिस ने धोखाधडी के मामले में गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी आसिया सादिक अडेन नामक महिला के साथ धोखाधडी का मामला प्रकाश में आया है. बताया जाता है कि आसिया जी को एक मकान की तलाश थी. किसी तरह से आसिया जी की मुलाकात चीटर धोखेबाज आर.आर.पांडीयन नामक व्यक्ती से हुई. आसिया जी ने पांडियन से अपनी इच्छा अनुसार एक मकान किराए पर लेने की बात कही. पांडियन ने आसिया जी को एक सुझाव दिया, मेरा अपना एक मकान वाशीनाका आर.एन.पार्क में है.

मुरलीधर करपे
आर.सी.एफ.पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक

मै उस मकान को ४० लाख रुपए हैवी डिपोझीट पर दुंगा, महिला ने पांडियन से इतनी बडी राशि से कुछ रुपए कम करने के लिए विनती की, इस पर पांडियन ३० लाख रुपए पर अपना मकान देने को तैयार हो गया. महिला ने बडी मुश्किल से ३० लाख रुपए का इंतजाम कर के १०, १० लाख के दो चेक, ९ लाख रुपए का एक चेक और एक लाख रुपए का एक चेक इस तरह से ४ चेक देकर पुरे ३० लाख रुपए पांडियन के नाम से दिए. महिला के दिये हुये चार चेक में से दस-दस लाख रुपए के दो और नौ लाख रुपए के एक चेक पास होने पर पांडियन से महिला ने कहा की अब आप का एक लाख

महाठग रवी राजन पांडीयन उर्फ आर.आर.पांडियन

रुपए का एक चेक बाकि है वह भी पास हो जायेगा। आप मकान का करारनामा कर लो पांडियन ने दो दिन बाद महिला से करारनामा करने के बाद उसी वक्त मकान की चाबी महिला के ताबे में दे दिया। लेकिन पांडियन ने महिला से यह नही बताया की इस मकान पर एक बैंक का कर्ज है और यह मकान बैंक कभी भी ताबे में ले सकती है।

दिनांक १२/०८/२०२१ के रोज महिला अपने पुरे परिवार और घरेलू सामान के साथ जब मकान पर गई तो देखा की मकान के दरवाजे पर बैंक ने एक नोटिस लगाया हुआ है। यह देख कर महिला और उनका पूरा परिवार परेसान हो गये।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समयक निवास हक्क संस्था के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला आर. सी.एफ पुलिस के शिकंजे में

तत्काल में महिला ने पांडियन को फोन लगाया। उस वक्त पांडियन ने महिला को आश्वासन दिया कि आप घबराओ मत, बैंक में रुपए मैं जल्द भरने वाला हूं।पांडियन के दिये हुये आश्वासन से महिला निश्चिंत रही।

इस तरह से पांडियन ने दो से तिन महीने निकाल लिये। फिर धीरे धीरे पांडियन ने फोन उठाना भी बंद कर दिया और जब कभी कभार अचानक फोन उठा लेने पर सही जवाब नही देना। इसी के साथ फिर बैंक वालो ने महिला को परेशान करना शुरू किया।

पांडियन ने बैंक में ई.एम. आई. नही भरने के कारण महिला बेघर होने वाली थी। महिला ने बैंक वालो से पांडियन की मुलाकात करवाना चाही ताकी बैंक वालो को पांडियन ई. एम. ई. की रक्कम देकर इस मामले को खत्म करे। (पेज ८ पर....)

युवती से दुकान में दरिंदगी निर्वस्त्र कर सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास!

उत्तरप्रदेश - युवती से दुकान में दरिंदगी निर्वस्त्र कर सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास, तमाशाई बने देखते रहे लोग, आरोप है कि राहुल सोनी और उसका भाई रोहित, पवन और साथी अंकित सोनी ने उसकी स्कूटी रुकवाई। सरेराह मारपीट कर उसे खींचकर दुकान के अंदर ले गए और उसे निर्वस्त्र कर दिया। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करने लगे।

तुर्की के सदर रज्जब तय्यब अर्दोगान ने जुमे की नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा लेट पहुंचे मस्जिद में, मस्जिद फुल हो चुकी थी इसके कारण जहां पर जूते रखते हैं वहां पर अर्दोगान ने नमाज अदा की.

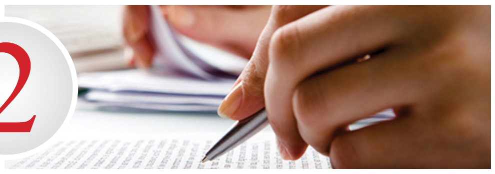

संपादकीय

मुद्दा तब एक बार फिर...

कावेरी जल बंटवारे का मुद्दा तब एक बार फिर गरमाता नजर आया, जब तमिलनाडु को रोजाना 5000 क्यूसेक के हिसाब से पानी देने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ बेंगलुरु बंद रखा गया। हालांकि बंद कमोबेश शांतिपूर्ण रहा, लेकिन राज्य में बीजेपी और JDS जैसे मुख्य विपक्षी दलों के समर्थन ने इसकी अहमियत बढ़ा दी। राज्य में कावेरी जल विवाद जब-तब गरमाता रहा है, लेकिन इस बार के विरोध की तुलना पिछले विरोधों से नहीं की जा सकती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तब इस मामले के निपटारे का कोई व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीका नहीं निकाला गया था। चूंकि कावेरी बेंगलुरु शहर के लिए पेयजल की और राज्य के मांडवा क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए सिंचाई जल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसके जल के बंटवारे का सवाल एक भावनात्मक मुद्दा रहा है और उसे भुनाने में तमाम राजनीतिक दल आगे रहे हैं। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सभी राज्यों का कोटा तय कर दिया बल्कि उस फैसले पर सही ढंग से अमल सुनिश्चित करने के लिए कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वॉटर रेगुलेटरी कमिटी का भी गठन करवा दिया। ये दोनों गैर-राजनीतिक निकाय हैं और नियमित रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इस बार भी तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के दावों और उनकी मांगों पर जमीनी हकीकत की रोशनी में विचार करते हुए उहफ्उ की सिफारिशों के आधार पर CWMA ने कर्नाटक को 5000 क्यूसेक रोजाना के हिसाब से पानी देने को कहा, जो तमिलनाडु की मांग से कम है। दोनों राज्य सरकारें इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गईं लेकिन कोर्ट ने CWMA के निर्देशों में दखल देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अगर कर्नाटक सरकार ने इस फैसले पर अमल करने का निर्णय लिया तो उसे गलत मानना मुश्किल है। जो संगठन और राजनीतिक दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि 2018 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्य स्थितियों के लिए था, जबकि इस बार मॉनसून की बारिश काफी कम रही है। यह बात हालांकि सही है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि CWMA ने इस स्थिति पर विचार करते हुए ही अपना फैसला दिया है। कर्नाटक सरकार ने भी कहा है कि 26 सितंबर के बाद वह हालात पर फिर से विचार करेगी और तब आगे का रुख तय करेगी। ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि इस बीच मांडवा में किसानों ने कम पानी वाली फसलों पर फोकस करना शुरू किया है। दूसरी बात किसानों की नई पीढ़ी गैर-कृषि क्षेत्रों की ओर रुख कर रही है। इन वजहों से कावेरी का मुद्दा पहले जितना भावनात्मक नहीं रहा। राजनीति भी अगर इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना रुख तय करे तो यह मसला अपेक्षाकृत सुसंगत ढंग से सुलझाना मुश्किल नहीं होगा।

इन टैक्सपेयर्स को धड़ाधड़ भेजे जा रहे नोटिस, देना होगा 200 फीसदी जुर्माना, इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कहीं आपने तो नहीं दी है ये स्लीप

इसी में घर का किराया भी एक बेहतर विकल्प होता है। इसके लिए आपको अपने इंप्लायर को फरवरी या मार्च में हाउस रेंट रिसीट जमा करनी होती है। इसके अलावा नौकरीपेशा वाले अन्य दूसरे दस्तावेज भी जारी करते हैं। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि लोग इसमें मकान मालिक से रिसीट लेने की बजाए खुद ही फर्जी हाउस रेंट रिसीट तैयार कर अपनी कंपनी में जमा कर देते हैं। लेकिन आपकी ये चालाकी अब आपको भारी मुसीबत में डालने वाली है।

टैक्सपेयर्स से मांगे जा रहे दस्तावेज

Income Tax Department इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर नजर रखने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर की मदद ले रहा है। इस सॉफ्टवेयर से करदाताओं द्वारा जमा किए गए फर्जी डॉक्यूमेंट्स को पकड़ना आसान हो गया है। हालिए रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस भेज रहा है। उनसे टैक्स छूट के दावों से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।

इन डॉक्यूमेंट की हो रही जांच

इनकम टैक्स विभाग फर्जी डॉक्यूमेंट पर काफी सख्ती बरत रहा है। आयकर विभाग की जिन फर्जी डॉक्यूमेंट पर नजर है उसमें हाउस रेंट रिसीट, ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए हेल्पर हायर करने और होम लोन पर चुकाए गए ब्याज की रिसीट शामिल हैं।

ये नोटिस एसेसमेंट ईयर 2022-23 से संबंधित हैं और ये नोटिस आईटी कानून की धारा 133(6) के तहत भेजे

जा रहे हैं। इस कानून से टैक्स एसेसिंग ऑफिसर को किसी खास अवधि के दौरान किए गए ट्रांजैक्शन्स के कुछ डिटेल्स की जानकारी मांगने का अधिकार होता है।

एक लाख से कम किराए में है ये छूट

सैलरीड क्लास वालों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से आईटी एक्ट की धारा 10 (13अ) के तहत घर के किराए पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस कानून के तहत यदि आपके मकान का किराया सालाना एक लाख रुपये से अधिक है तो आपको मकान मालिक का पैन कार्ड देना होता है।

यदि किराया 1 लाख रुपये से कम है तो मकान मालिक के ढअठ का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में लोग 1 लाख से कम किराया दिखाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम से फर्जी हाउस रेंट रिसीट तैयार कर देते है।

इनकम विभाग ने पकड़ा ये फर्जीवाड़ा

वहीं इनकम टैक्स विभाग को एक अन्य प्रकार का फर्जीवाड़ा भी देखने को मिला है, जिसमें वे लोग जिनका अपना घर है, वे भी रेंट स्लिप लगाकर टैक्स छूट ले रहे हैं। आयकर विभाग की कंप्यूटर डेटा जांच में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, ऐसे में इन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है।

एचआरए पर फर्जीवाड़ा क्यों होता है?

हाउस रेंट को लेकर फर्जीवाड़ा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इससे बहुत सारा टैक्स बच सकता है। मान लीजिए कि आपने अपने घर का किराया 20 हजार रुपये महीना मतलब 2.40 लाख रुपये सालाना दिखाया तो सीधे इतने रुपये पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा।

बशर्ते कंपनी की तरफ से आपको कम से कम 2.40 लाख रुपये का हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा हो। हालांकि, अगर आपने कम रेंट चुकाया है तो आपको इस पूरी रकम पर क्लेम नहीं मिलता।

एक्सट्रा अलाउंस की भी देनी होती है डिटेल

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में इनकम टैक्स भरने वालों को एक्सट्रा अलाउंस की भी डिटेल्स भरनी होगी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में एक ड्रॉप डाउन कॉलम दिया जाता है, जिसमें टैक्स भरने वाले अतिरिक्त भत्तों की डिटेल आसानी से दर्ज करनी होती है। इससे अन्य भत्ते जैसे एचआरए, एलटीए, पेंशन लीव सैलरी अलग रहेंगे।

क्या है जुर्माना?

टैक्स देनदारी घटाने के लिए अगर कर्मचारी रीइंबर्समेंट के नकली बिल संस्थान को जमा करता है तो ये इनकम को छुपाने का मामला बनता है। इस मामले में आकलन अधिकारी जांच शुरू कर सकते हैं। इसके बाद करदाता को बिलों की वास्तविकता का सबूत देना होता है। अगर बिल नकली पाए जाते हैं तो पेनाल्टी बनेगी। इनकम को कम बताए जाने पर सेक्शन 270ए (1) के तहत ये 50 फीसदी तक हो सकती है। अगर व्यक्ति जानबूझकर नकली बिल जमा कर इनकम की गलत जानकारी देता है तो इस पर 200 तक जुर्माना देना पड़ता है।

राज्य और केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का झटका!

मुंबई : राज्य में सरकारी कर्मचारियों के मामलों का समय पर निपटारा होने की उम्मीद पल्लवित हुई है। महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (मैट) में रिक्तियों को भरने में ढीली पड़ी राज्य और केंद्र सरकार हाई कोर्ट के झटका दिए जाने के बाद जागी हैं। कोर्ट के आदेश का अनुसरण कर कार्रवाई करके केंद्र सरकार ने मैट के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की हैं। केंद्र सरकार ने मुंबई, नागपुर और संभाजी नगर खंडपीठ में कुल चार रिक्त पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता योगेश मोरबाले ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मैट में विभिन्न बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने, रिक्त पदों को भरने, ऑनलाइन फाइलिंग व सुनवाई की व्यवस्था करने, मैट की वेबसाइट को अपडेट करने जैसी विभिन्न मांगों की तरफ ध्यान केंद्रित कराया। मैट में रिक्तियों को तुरंत भरे जाने को लेकर एड. यशोदीप देशमुख और एड. विनोद सांगवीकर ने जोरदार दलीलें दीं। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने का सख्त आदेश राज्य और केंद्र सरकार को दिया था। पहले सुस्त पड़ीं दोनों सरकारें कोर्ट के कड़े आदेश के बाद फौरन जाग उठीं और आखिरकार चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप केंद्र सरकार सभी चार रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं।

इसके तहत मैट की मुंबई में खंडपीठ में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह बिष्ट (न्यायिक सदस्य), नागपुर खंडपीठ में पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय कुमार

(प्रशासनिक सदस्य), संभाजीनगर खंडपीठ में पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार) विनय कारगावकर (प्रशासनिक सदस्य) और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विश्वास जाधव (न्यायिक सदस्य) को चार साल के लिए नियुक्त किया गया है।

फतेहपुर में पिता की हैवानियत, 5 साल तक नाबालिग बेटी से किया रेप, दो बार करवाया अबॉरशन, गिरफ्तार

फतेहपुर. उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बाप-बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां मां की मौत के बाद से नाबालिग बेटी के साथ पिता 5 साल से लगातार रेप की घटना को अंजाम दे रहा था. बेटी के दो बार प्रेग्नेंट होने पर उसका अबॉर्शन भी करा दिया. पिता की दरिंदगी से तंग आकर बेटी ने इस घटना की जानकारी अपने भाई और अन्य रिश्तेदारों को दी, जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए. जिसके बाद पीड़ित लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचकर पिता के खिलाफ रेप की तहरीर दी. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

घटना ललौली थाना इलाके की है, जहां दरिंदे पिता ने अपनी नाबालिग बेटी

को 5 सालों से अपने हवस का शिकार बनाता रहा. बेटी के विरोध करने पर उसे उसे जान से मारने की धमकी देकर दरिंदगी की हदें पार करता रहा. रेप के बाद बेटी दो बार प्रेग्नेंट भी हो गई. जिसके बाद उसने उसका अबॉर्शन भी करा दिया. पिता की दरिंदगी से तंग आकर पीड़िता ने इस घटना की शिकायत अपने भाई और रिश्तेदारों से की. पीड़िता की बात सुनकर परिवारीजन भी दंग रह गए. जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और इस घटना की तहरीर पुलिस को दी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (3) 313, पॉक्सो के तहत एफआईआई दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि वर्ष 2018 में पीड़िता की मां की मौत हो गई थी. जिसके बाद से हैवान पिता बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा. वहीं इस मामले में एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि थाना ललौली इलाके में एक 17 वर्षीय पीड़िता के द्वारा अपने पिता के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए साक्ष्य के आधार पर आरोपी पिता को पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

राज्यों की सरकारें ४४ हजार करोड़ रुपयों का कर्ज लेकर चुनाव के मैदान में

मुंबई, बजट की तुलना में की गई बड़ी-बड़ी घोषणाओं और आश्वासनों को पूरा करने के लिए और आगामी लोकसभा झ्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वोटों की जोड़-तोड़ करने के लिए चार राज्यों की सरकारें ४४ हजार करोड़ रुपयों का कर्ज लेकर चुनाव के मैदान में उतरने वाली हैं। महाराष्ट्र के कर्ज का बोझ, मुनाफे की तुलना में १८.२३ फीसदी बढ़ गया है। इस बार के बजट में कुल १६ लाख २२ हजार करोड़ रुपयों का राजस्व घाटा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार और कर्ज लेती है तो कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा व सरकार कर्ज के दल-दल में फंसती चली जाएगी।

देश के पांच राज्यों में एक साथ चुनाव हो सकते हैं, जिसके कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना आनेवाले तीन महीनों में बॉन्ड के ऐवज में बाजार से भारी भरकम कर्ज ले सकते हैं। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर से दिसंबर के बीच जारी कर्ज के आंकड़ों से सामने आई है। इन तीन महीनों में संबंधित चार राज्य बॉन्ड बाजार से कुल २.३७ लाख करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से ले सकते हैं। इनमें से ४४ हजार करोड़ यानी १८.५६ फीसदी कर्ज सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना राज्य ले सकते हैं, वहीं गुजरात सरकार ६ हजार करोड़ रुपए कर्ज ले सकती है।

कौन है गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज, नॉर्थ इंडिया को दहलाने की थी साजिश, पुणे के जंगलों में की थी ब्लास्ट की प्रैक्टिस

दिल्ली, पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी शाहनवाज उर्फ शैफी को गिरफ्तार किया है. एनआईए को लंबे वक्त से शाहनवाज की तलाश थी, उस पर 3 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था. शहनवाज और उसके साथी आतंकियों की साजिश नॉर्थ इंडिया को दहलाने की थी. इतना ही नहीं इन आतंकियों ने पुणे के जंगलों में बम ब्लास्ट की प्रैक्टिस भी की थी.

दरअसल, शाहनवाज का नाम सबसे पहले तब सामने आया जब पुणे पुलिस ने दो लोगों को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए गिरफ्तार किया था. जबकि शाहनवाज मौके से फरार हो गया था. शुरूआत में पुणे पुलिस को लगा कि ये लोग छोटे चोर हैं लेकिन लगातार पूछताछ करने पर पता चला कि ये सिर्फ चोर नहीं बल्कि आईएसआईएस के आतंकवादी हैं और वहां के स्लीपर सेल का हिस्सा हैं.

इसके बाद जांच के दौरान पुलिस शाहनवाज के घर पहुंची थी. उससे घर से पुलिस ने आपत्तिजनक साहित्य और आईईडी बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बरामद किया था. इसके बाद इस मामले को महाराष्ट्र एटीएस को ट्रांसफर किया गया था. एटीएस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एनआईए को टांसफर किया गया था. एनआईए ने 7 लोगों को हिरासत में भी लिया था. एनआईए ने हाल ही में 4 आतंकियों की फोटो भी जारी की थी. इनपर 3-3 लाख का इनाम घोषित था.

एनआईए ने शनिवार को दिल्ली पुलिस और पुणे पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की थी. इस दौरान टीमों को कोई सफलता नहीं मिली थी. लेकिन रविवार रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शाहनवाज को उसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था. शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद उसके घर से आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए. जांच में पता चला है कि शाहनवाज और उसके मॉड्यूल के सदस्य पूरे उत्तर भारत में हमले करना चाहते थे. इसकी प्रैक्टिस के लिए आतंकियों ने पुणे के जंगलों ब्लास्ट भी किया था.

सभी LPG उपभोक्ता ध्यान दें ...

विशेष कर महिला ग्रुप, यह पोस्ट किसी महिला के अनुभव पर आधारित है, पिछले रविवार को मुझे एक उपयोगी जानकारी मिली, मुझे अपना गैस सिलेंडर चेंज करना था, मैने खाली सिलेंडर को हटाकर नया भरा हुआ सिलेंडर लगाया, नॉब के ऑन करते हीं मुझे गैस लीक होकर महकने का आभास हुआ, सुरक्षा के तहत मैने तुरंत हीं नॉब को बंद कर दिया, मैने तुरंत अपने गैस एजेंसी को इसकी जानकारी देकर मदद मांगी,

जबाब दिया कि आज रविवार होने के कारण एजेंसी बंद है, अब हमारा आदमी कल ही आपके समस्या को दूर कर पाएगा, सॉरी, मैं हताश होकर बैठ गई, अचानक मुझे ख्याल आया की गुगल पर सर्च करूं, शायद कोई इमरजेंसी नंबर मिले, गुगल ने गैस लीकेज होने पर एक नंबर दिखाया 1906, मैने उस नंबर पर कॉल किया तो टू कॉलर पर गैस लीकेज इमरजेंसी दिखा,

एक महिला ने फोन उठाया, मैने उसे अपनी समस्या बताई, उन्होंने जवाब दिया कि 1घंटे के भीतर आपके पते पर सर्विस मैन पहुंच जाएगा, अगर आपकी पाइप लीकेज हो तो आपको नया पाइप का चार्ज देना होगा अन्यथा आपको कोई भी शुल्क नही देना है, मैं आश्चर्यचकित हो गई जब आधे घंटे में ही एक लड़के ने दरवाजा नॉक किया , उस लड़के ने चेक किया, और 1 मिनट में सिलेंडर के अंदर लगे वॉशर को चेंज कर, गैस को ऑन कर दिया, मैने उसे कुछ पैसे देना चाहा तो उसने विनम्रता से पैसे लेने से इंकार कर दिया, उसने कहा कि यह सुविधा उन्हें केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क प्रदान की गई है, आधे घंटे के अंदर फोन रिसीव करने वाली महिला ने फोन कर पूछा कि आपकी समस्या ठीक हुई कि नहीं?

ठाणे जिले में डेंगू के ३६६ और मलेरिया के ३०६ मरीज

ठाणे, पिछले दो से तीन महीने में ठाणे जिले में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में बेहद तेजी से वृद्धि हुई है। सितंबर महीने में ठाणे जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मलेरिया के ३०६ और डेंगू के ३६६ मरीज मिले हैं। आंकड़ों से साफ होता है कि ठाणे जिला स्वास्थ्य विभाग की असफलता की वजह से ही ह्यडेंगू-मलेरिया का बुखारह्न ठाणे जिले पर सवार हो रहा है। बता दें

कि ठाणे जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

ठाणे जिले में सितंबर माह में ८७,९९० संदिग्ध मलेरिया मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, इनमें से ३०६ मरीज मलेरिया से ग्रसित पाए गए। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर कुल ७४७ डेंगू के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से कुल ३६६ मरीजों को मलेरिया ग्रसित पाया गया जबकि ३ मरीजों की मौत हो गई है। कल्याण-डोंबिवली मनपा इलाके में डेंगू के कुल १३७ मामले पाए गए,

अकेले 25 करोड़ के गहनों पर किया हाथ साफ, कैसे मिला सुराग

चॉकलेट-बिस्किट खाकर शोरूम में गुजारे 20 घंटे

दिल्ली, दिल्ली में हुई सबसे बड़ी चोरी का पर्दाफाश हो गया है। भोगल स्थित ज्वेलरी के शोरूम से करीब 25 करोड़ के गहनों पर हाथ साफ करने वाले लोकेश श्रीवाश

को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दबोच लिया गया। आरोपी शोरूम में करीब 20 घंटे रहा। उसने इसकी फुलप्रूफ योजना बनाई थी। ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, बिस्किट और केक लेकर लोकेश शोरूम के अंदर घुसा था। दुकान के अंदर भूख लगने पर वह यही खाता रहा और दिन में स्ट्रांग रूम की दीवार काटता रहा।

आरोपी लोकेश को मालूम था कि ज्वेलर दुकान बंद करने से पहले सारे गहने स्ट्रांग रूम में रखते हैं। वह रात को गहनों के ठिकाने का पता करता रहा। फिर शोरूम में ही सो गया और सुबह नित्य क्रिया करने के बाद करीब नौ बजे से स्ट्रांग रूम की दीवार को काटने में जुट गया। वह छह बजे तक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। फिर सारा सामान बैग में रखने के बाद रात होने का इंतजार करने लगा। अंधेरा होने पर करीब सात बजे जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से बाहर चला गया।

बस टिकट के लिए फोन ऑन करते ही सुराग मिला

सबसे बड़ी चोरी मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात करीब सात बजे वह इमारत से बाहर निकला। फिर ऑटो से कश्मीरी गेट स्टेशन पहुंचा। वहां उसने रात करीब 840 बजे सागर के लिए जाने वाली बस का टिकट खरीदा। जांच से जुड़े सूत्र ने बताया कि लोकेश ने वारदात के दौरान फोन बंद किया हुआ था, लेकिन बस अड्डे पर उसने नया सिम लगाया और टिकट का मैसेज दिखाने के लिए मोबाइल ऑन किया।

इस दौरान तीन चार मैसेज उसके फोन पर आ गए। इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी की टीम लगातार सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही थी। उन्हें लोकेश की फुटेज मिली और जिस ऑटो में वह सवार हुआ था, उसका पीछा करते हुए पुलिस बस अड्डे पहुंची। वहां की फुटेज में टिकट लेते हुए दिखाई दिया। वह फोन देख रहा था और पुलिस ने टावर पर आने वाली कॉल निकाली।

लोकेश ने अपने दोस्त शिवा को फोन किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शिवा और लोकेश दोनों की पहचान कर ली। लोकेश का ठिकाना छत्तीसगढ़ आ रहा था। दिल्ली पुलिस ने दो इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम रायपुर रवाना कर दी गई। टीम गुरुवार को पहुंचकर रायपुर एवं दुर्ग में स्थानीय पुलिस की सहायता से तलाश करती रही। बिलासपुर पुलिस ने लोकेश की तलाश करते हुए उसके साथी शिवा को दबोच लिया।

शिवा की निशानदेही पर छापेमारी करते हुए शुक्रवार सुबह भिलाई से आरोपी लोकेश को पकड़ लिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी आदि की प्रक्रिया पूरी की। दिल्ली पुलिस लोकेश के अलावा शिवा और उनके एक अन्य साथी को लेकर लौट रही है। डीसीपी राजेश देव ने बताया कि दिल्ली में कोर्ट में पेश कर इसकी हिरासत मांगी जाएगी। इसके बाद पूछताछ की जाएगी।

दक्षिण पूर्व जिला पुलिस की 25 टीमें दिन-रात दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी के खुलासे में जुटी थी। इसमें साइबर की टीम टेक्निकल सर्विलांस और कॉल डिटेल्स पर काम कर रही थी। इसके अलावा 15 टीमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में जुटी थी। करीब 500 सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद पुलिस को लोकेश की एक फुटेज भोगल में मिली। इसे संदिग्ध मानकर पुलिस बस अड्डे तक पहुंच गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह विशाखापट्टनम में फिंगर प्रिंट की वजह से पकड़ा गया था। इस बार उसने दस्ताने पहनकर चोरी की थी। वह हर गलती से सबक लेकर उसे अगली बार न दोहराने की कोशिश करता था। लोकेश ने बिलासपुर में बीते माह एक ही रात में सात दुकानों में चोरी की थी। इस मामले में ही बिलासपुर पुलिस की टीमें इसकी तलाश कर रही थी। लोकेश ने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाया था। इसने भोगल की तरह ही 2019 में भिलाई स्थित पारेख ज्वेलर नाम के शोरूम को निशाना बनाया था। यहां से पांच करोड़ के गहने चोरी किए थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने पूरा सामान बरामद कर लिया था।

अफगान दूतावास ने भारत में बंद किया कामकाज, गिनवाई ये 3 बड़ी वजह

अफगान दूतावास की तरफ से कहा गया है कि काबुल में वैध सरकार काम नहीं कर रही और भारत की तरफ से जरुरी मदद

नहीं मिली. संसाधनों की कमी के चलते कर्मचारियों की तादाद कम करनी पड़ी, जिससे जरूरी कामकाज में दिक्कत बढ़ती गई.

भारत में अफगानिस्तान के दूतावास का कामकाज 1 अक्टूबर यानी कि आज से बंद करने का ऐलान किया गया है. अफगानिस्तान ने मेजबान देश भारत से सहयोग नहीं मिलने का दावा किया है. शनिवार रात को उन्होंने घोषणा की कि वह एक अक्टूबर से यहां अपना कामकाज बंद कर रहे हैं, अफगान दूतावास ने एक बयान में कहा कि उसे इस फैसले के ऐलान पर बहुत अफसोस हो रहा है. बहुत ही दुख और निराशा के साथ नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास अपना कामकाज बंद करने के इस फैसले का ऐलान कर रहा है. दूतावास ने मिशन को प्रभावी तरीके से नहीं चला पाने के कुछ कारण अपने बयान में बताए.

उसने आरोप लगाया कि उसे मेजबान देश से अहम सहयोग की कमी महसूस हो रही है जिसकी वजह से वह प्रभावी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा. दूतावास ने अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने की भी बात कही है.

दूतावास की तरफ से कहा गया है कि मेजबान देश भारत की तरफ से इस मुश्किल समय में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली. दूतावास के तौर पर अफगानिस्तान के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे क्योंकि काबुल में वैध सरकार काम नहीं कर रही और भारत की तरफ से जरुरी मदद नहीं मिली. संसाधनों की कमी के चलते दूतावास के कर्मचारियों की तादाद कम से कमतर करना पड़ा जिसे जरूरी कामकाज चलाने में दिक्कत बढ़ती गई. अफगानिस्तान के राजनियकों के वीजा के नवीनीकरण में भी दिक्कत आई और इससे कामकाज पर असर पड़ा. इन वजहों से दूतावास बंद कर इसे मेजबान देश के हाथों सौंपे जाने का फैसला किया गया. इसमें इस बात का खंडन किया गया है कि अफगानिस्तान के राजनयिक दूसरे देशों में शरण लेने कोशिश में करते रहे हैं. दूतावास की तरफ से इसे बंद करने के पहले की सूचना के वेरिफि केशन की मांग भी की गई है. हालांकि दूतावास पर अफगानिस्तान के झंडे को लगाए रखने की मांग की गई है. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की.. न कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की (तालिबान के टेकओवर के बाद का नाम). भारत सरकार के साथ दूतावास एक समझौता करने को तत्पर है ये बात भी कई गई है.

अफगान दूतावास की तरफ से कहा गया है कियह फैसला बेहद अफसोसजनक है लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंधों और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद लिया गया है. बता दें कि भारत में अफगान दूतावास का नेतृत्व राजदूत फरीद मामुंडजे ने किया है. उनको अफगानिस्तान की पिछली अशरफ गनी सरकार ने नियुक्त किया था. अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद भी वह अफगान दूत के रूप में काम कर रहे हैं.

मुंबई में हर घंटे १० लोगों को काट रहे हैं कुत्ते

मुंबई, मुंबई में आवारा कुत्तों का आंतक बढ़ता जा रहा है। घर से निकलने के बाद किस सड़क और गली में आवारा कुत्ते लोगों पर भौंकते हुए उन्हें काट लें, इसका कोई भी अनुमान नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, हर दिन शहर में आवारा कुत्ते लगभग १० लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इससे मुंबईकर बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। इसके बावजूद घाती सरकार और मनपा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल, सरकार कुत्तों को रेबीज से मुक्ति दिलाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाने जा रही है, जिसका असर पड़ने की उम्मीद कम ही है। इसके अलावा कुत्तों की नसबंदी के साथ ही अन्य कई योजनाएं भी फेल हो रही हैं।

उल्लेखनीय है कि मुंबई महानगर में इंसानों के साथ जानवरों की भी आबादी बढ़ रही है, जिसके दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं। खासतौर पर आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही कुत्तों के काटने के मामले भी बढ़ने लगे हैं। हालत ये है कि मुंबई में हर घंटे करीब १० लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई में इस समय करीब १.६४ लाख आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं। मनपा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, मुंबई में वर्ष २०२१ में डॉग बाइट के ६१,३३२ मामले, वर्ष २०२२ में ७८,७५६ और साल २०२३ में अब तक करीब ४३ हजार से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए। मनपा के मुताबिक, लॉकडाउन के बाद कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़े हैं।

हालांकि, कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए मनपा की तरफ से नसंबदी समेत कई योजनाएं बनाई गईं, लेकिन सभी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। एक भी योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किए जाने से वे असफल होती दिखाई दे रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक, पांच सालों में मुंबई में करीब ८३,००० आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई है। इसमें महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में कुत्तों की सबसे अधिक नसबंदी हुई है। हालांकि, घाती सरकार के राज में बीते साल केवल १०,४८४ आवारा कुत्तों की नसबंदी हुई है, जो इस सरकार की लापरवाही का प्रमाण है।

WEBSITE

@

JUST

7999/-

ONLY

CALL

+91-9768362091

गृह मंत्रालय: नए कॉडर को पसंद नहीं खुफिया एजेंसी में पोस्टिंग, सीबीआई और आईबी में एसपी के 50 फीसदी पद खाली

बीएसएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 26 पदों में से 8 पद खाली पड़े हैं। सीआईएसएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 20 पदों में से 13 पद खाली पड़े हैं। आईबी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 63 पदों में से 41 पद खाली पड़े हैं...

केंद्र में बतौर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आईपीएस अफसरों का तय कोटा भर नहीं पा रहा है। आईपीएस डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी के पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 11 अगस्त 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, डीजी के 15 स्वीकृत पदों में से दो खाली थे, लेकिन एसडीजी के सभी दस पद भरे हुए थे। एडीजी के 26 पदों में से केवल दो स्थान खाली थे। आईजी के 138 पदों में से 20 रिक्त हैं। डीआईजी के 255 पदों में से 86 रिक्त थे और एसपी रैंक के 225 पदों में से 95 पद खाली बताए गए हैं। सीबीआई में एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 73 पदों में से 42 पद खाली पड़े हैं, जबकि 'आईबी' में एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 83 पदों में से 34 पद खाली पड़े हैं। एनआईए में भी एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 36 पदों में से सात पद खाली पड़े हैं। एनपीए में एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 14 पदों में से 8 पद खाली पड़े हैं। हालांकि 19 सितंबर को मुकेश सिंह आईपीएस (एजीएमयूटी 1996) को आईटीबीपी में आईजी लगाया गया है। 21 अगस्त को राकेश अग्रवाल (पंजाब 1999) को सीआरपीएफ में आईजी लगाया गया है। 21 अगस्त को ही पटेल पीयूष पुरुषोतम दास (गुजरात 1998) को बीएसएफ में आईजी लगाया गया है। 18 सितंबर को राम प्रसाद मीणा को (एम 1993) को बीएसएफ में एडीजी लगाया गया है। 20 सितंबर को डीआईजी कुलदीप द्विवेदी (जेएच 2005) को आईटीबीपी से सीबीआई में भेजा गया है। चार सितंबर को संजय भास्कर (एमएच 2005) डीआईजी के बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर जाने के आदेश रद्द कर दिए गए। 21 अगस्त को आर गोपाला कृष्णा राव, (टीआर 2005) को सीआरपीएफ में डीआईजी लगाया गया है। 11 अगस्त को अखिलेश्वर सिंह (ओडी 2009) को एसएसबी में डीआईजी लगाया गया है। 31 अगस्त को संदीप (एजीएमयूटी 11) को एनआईए में एसपी लगाया गया है। 21 अगस्त को सुदीप्ता दास (टीआर 2012) को एनएसजी में 'कमांडेंट' लगाया गया है। अभिषेक जोरवाल (हरियाणा 2011) को एनआईए में लगाया गया था, लेकिन 17 अगस्त को उनके प्रतिनियुक्ति आदेश कैंसल कर दिए गए।

केंद्रीय बलों में भी रिक्त पड़े हैं आईपीएस के पद

बीएसएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 26 पदों में से 8 पद खाली पड़े हैं। सीआईएसएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 20 पदों में से 13 पद खाली पड़े हैं। आईबी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 63 पदों में से 41 पद खाली पड़े हैं। आईटीबीपी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 11 पदों में से 6 पद खाली पड़े हैं। एसएसबी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 24 पदों में से 10 पद खाली पड़े हैं। सीआरपीएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 38 पदों में से एक पद खाली पड़ा हैं। सीबीआई में आईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 16 पदों में से 5 पद खाली पड़े हैं। आईबी में आईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 37 पदों में से 6 पद खाली पड़े हैं। तीन मार्च

2023 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों, आयोगों और जांच एवं खुफिया एजेंसियों में डीआईजी 'आईपीएस' के लिए स्वीकृत 255 पदों में से 77 पद खाली थे। इससे पहले खाली पदों की यह संख्या 120 से 186 के बीच रही है।

गत वर्ष समाप्त कर दी गई थी पैनल प्रक्रिया

लंबे समय से विशेषकर आईपीएस डीआईजी, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आने का मन नहीं बना पा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने सुझाव दिया था कि इन अधिकारियों के लिए पैनल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। इसके पूरा होने में काफी समय लगता है। सरकार के इस कदम का मकसद, केंद्र में डीआईजी-रैंक के अधिकारियों की भारी कमी को दूर करना था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास यह प्रस्ताव कई बार भेजा गया था। गत वर्ष 10 फरवरी को इसे कमेटी की मंजूरी मिल गई थी। केंद्र सरकार का मानना था कि डीआईजी-रैंक के अधिकारियों के लिए पैनल सिस्टम को खत्म करने से अब प्रतिनियुक्ति पर अधिक आईपीएस केंद्र में आ सकेंगे। मनोनयन प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक साल लग जाता था। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि जो भी आईपीएस एसपी या डीआईजी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं आएंगे, उन्हें बाकी सेवा के दौरान केंद्रीय नियुक्ति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इससे पहले केंद्र ने 'अखिल भारतीय सेवा' नियमों में संशोधन भी किया था। उसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार, आईएएस व आईपीएस अधिकारी को राज्य की अनुमति या बिना अनुमति के भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है।

डीआईजी के पद पर क्यों नहीं आना चाहते आईपीएस

बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद का कहना है कि राज्य पुलिस से डीआईजी या एसपी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए तैयार नहीं होते। इसकी एक बड़ी वजह रही है। वह है कि उन्हें यहां पर पोस्टिंग में च्वाइस नहीं मिलती। जब मन मुताबिक पोस्टिंग नहीं मिलती तो वे क्यों आएंगे। आईबी और सीबीआई में भी इसी वजह से आईपीएस एसपी के ज्यादातर पद खाली पड़े रहते हैं। मौजूदा समय में स्टेट पुलिस में डीआईजी का ज्यादा रोल नहीं बचा है। अब तो कई राज्यों में आईएएस के पदों पर भी आईपीएस लगाए जाने लगे हैं। पहले तो सबसे खराब स्थिति सीएपीएफ में रही है। यहां तो डीआईजी के अधिकांश पद रिक्त ही पड़े रहते थे। मजबूरन, आईपीएस डीआईजी के खाली पदों को कैडर अफसरों से भरा जाता था। सीएपीएफ में डीआईजी की सख्त पोस्टिंग होती है, इसलिए वे प्रतिनियुक्ति पर नहीं आते थे। सरकार की सख्ती के चलते अब इन बलों में डीआईजी के पद पर आईपीएस आने लगे हैं।

केंद्र में आईपीएस प्रतिनियुक्ति की 3 मार्च की स्थिति

तीन मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों, आयोगों और जांच एवं खुफिया एजेंसियों में डीआईजी 'आईपीएस' के लिए 255 पद स्वीकृत थे। इनमें से डीआईजी के 77 पद अभी खाली पड़े थे। आईजी 'आईपीएस' के लिए 138 पद स्वीकृत थे, जिनमें से 19 पद खाली पड़े थे। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर डीजी रैंक के लिए 15 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से दो पद खाली थे। एक पद बीएसएफ डीजी का और दूसरा एनपीए निदेशक का पद शामिल था। एसडीजी 'आईपीएस' के लिए 10 पद मंजूर किए गए हैं, उनमें भी दो पद रिक्त थे। एडीजी 'आईपीएस' के 26 पद हैं। इनमें भी तीन पद खाली पड़े थे। एसपी आईपीएस के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 225 है। इन पदों में से 113 पद रिक्त थे। आईबी में डीआईजी के लिए स्वीकृत 63 पदों में से 38 पद खाली थे, जबकि आईपीएस एसपी के लिए मंजूर 83 पदों में से 40 पद रिक्त पड़े थे।

साल 2020 में आईपीएस प्रतिनियुक्ति का कोटा

30 जुलाई 2020 की स्थिति के मुताबिक, केंद्र में बतौर प्रतिनियुक्ति डीआईजी आईपीएस के लिए 254 पद स्वीकृत थे। इनमें से 164 पद थे। आईजी आईपीएस के लिए स्वीकृत 135 पदों में से 20 पद खाली पड़े थे। डीजी रैंक के लिए 13 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से दो पद खाली थे। एसडीजी 'आईपीएस' के 10 में से 3 पद रिक्त थे। एडीजी 'आईपीएस' के 27 पदों में से चार पद खाली रहे। उस दौरान एसपी 'आईपीएस' के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 199 थी, मगर इनमें से 97 पद रिक्त रहे। हैरानी की बात रही कि उस वर्ष बीएसएफ में आईपीएस डीआईजी के 26 पदों में से 22 पद खाली थे। सीआरपीएफ में ये पद 38 थे, जिनमें से केवल एक ही पद भरा हुआ था। सीबीआई में 35 में से 20 पद खाली थे, जबकि सीआईएसएफ में 20 में से 16 पद रिक्त थे। आईबी में आईपीएस डीआईजी के 63 में से 28 पद और आईपीएस एसपी के 83 में से 49 पद खाली रह गए थे।

2021 में आईपीएस डीआईजी के 186 पद खाली

9 जून 2021 की स्थिति के अनुसार, केंद्र में बतौर प्रतिनियुक्ति डीआईजी 'आईपीएस' के लिए 251 पद स्वीकृत थे। इनमें से 186 पद खाली थे। आईजी आईपीएस के लिए स्वीकृत 140 पदों में से 26 पद खाली पड़े थे। हैं। डीजी रैंक के लिए 13 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से चार पद खाली थे। एसपी 'आईपीएस' के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 203 थी, मगर इनमें से 96 पद रिक्त रहे। उस दौरान सीआरपीएफ व बीएसएफ में आईपीएस डीआईजी के अधिकांश पद खाली रहने के कारण उन्हें सीएपीएफ कैडर अधिकारियों की ओर डायवर्ट कर दिया गया था।

पाकिस्तानी ISI को खुफिया जानकारियां दे रहा था सेना का जवान, मोबाइल फोन से खुले बड़े राज; ऐक्शन में आर्मी

''पंजाब पुलिस ने सेना के एक जवान और ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। सेना के जवान पर आरोप है कि उसने वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर से जानकारियां लीक कीं जो कि आईएसआई तक पहूंचाई गईं।''

सूत्रों का कहना है कि वह पहले वेस्टर्न कमांड में काम करता था और उसके पास कई कंप्यूटरों का भी ऐक्सेस था। इसी दौरान उसने खुफिया जानकारियों को जुटा लिया और एक ड्रग तस्कर अमरीक सिंह को दे दीं। पटियाला पुलिस के साथ मिलकर आर्मी इस बात की जांचपड़ताल करने में लगी है कि आखिर कौन सी जानकारियां लीक की गई है। इसके अलावा जवान को कंप्यूटर का ऐक्सेस कैसे मिला।

जानकारी के मुताबिक बीते कई दिनों से आर्मी के वेस्टर्म कमांड में सारे कंप्यूटरों और इसके अलावा डिस्क, पेनड्राइव में स्टोर डेटा का ऑडिट किया जा रहा है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि जो जानकारियां लीक हुई हैं वे कितनी संवेदनशील हो सकती हैं। इसको लेकर कई अधिकारियों से पूछताछ भी हो रही है। यह भी पता चला है कि नई दिल्ली स्थित सेना के मुख्यालय से इस मामले

में वेस्टर्न कमांड से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आर्मी का सिपाही कुछ समय तक कैथल जेल में भी रहा। उस पर एक विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। हो सकता है कि वहीं से वह किसी अपराधी के संपर्क में आया हो। इसके बाद अमरीक सिंह से उसका कॉन्टैट हो गया हो। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि जब मनप्रीत जेल में था तो इस बात की जानकारी सेना को थी या नहीं।

उन्होंने कहा, हमने अमरीक सिंह को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया और उसकेमोबाइल फोन की फरेंसिक जांच करवाई। उसके फोन में सेना के बारे में कई संवेदनशील जानकारियां स्टोर थीं। हमने जब पूछताछ की तो उसने सिपाही मनप्रीत शर्मा का नाम कबूल किया। उसने कहा कि ये सारी जानकारियां मनप्रीत शर्मा से मिली हैं। उसने यह भी पताया कि वह किसी पाकिस्तानी के संपर्क में था जो अपना नाम शेर खान बताता था। अमरीक सिंह और आर्मी जवान दोनों को ही हिरासत में लिया गया है।

पाकिस्तान शरण लेने पहुंचे दो भारतीय नागरिक, बोले- 'गोली मार दें लेकिन वापस नहीं जाना', क्या है पूरी कहानी

भारत से एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसनैन इस सप्ताह अपने बेटे इसहाक अमीर के साथ पाकिस्तान में शरण लेने के लिए पहुंचे हैं. वो गैरकानूनी तौर पर अफगानिस्तान के रास्ते कराची पहुंचे हैं.

उनका आरोप है कि भारत में उन्हें 'धार्मिक विद्वेष और प्रताड़ना' का सामना करना पड़ रहा था और वह वापस जाने की बजाय पाकिस्तान में 'मरना या जेल में रहना पसंद करेंगे.'

ये दोनों भारतीय नागरिक कराची के इलाके अंचोली में ईधी होम में रह रहे हैं. उन पर ईधी होम से निकलने पर पाबंदी है और दो पुलिस अधिकारी उनकी निगरानी के लिए नियुक्त किए गए हैं.

66 साल के मोहम्मद हसनैन और 31 साल के इसहाक अमीर ने बीबीसी से बात करते हुए दावा किया कि वो इस साल पांच सितंबर को दिल्ली से अबू धाबी गए थे जहां से उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा लगवाया. वो काबुल पहुंचे और वहां से कंधार में स्पिन बोल्डक में कुछ लोगों ने पैसे लेकर उन्हें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र चमन में दाखिल होने में मदद की.

मोहम्मद हसनैन ने बताया, ''चमन से हमने क्वेटा के लिए दस हजार रुपये में टैक्सी पकड़ी और उसी टैक्सी को पचास हजार रुपये देकर हम क्वेटा से कराची पहुंचे.''

उनके अनुसार, ''होटल में रहने की जगह न मिली तो खुद पुलिस अफसरों से मिले और उनको अपनी कहानी बताई और कहा कि वे सीमा पार करने के मुल्जिम हैं और शरण चाहते हैं.''

उनके मुताबिक फिर पुलिस ने खुद उनको ईधी सेंटर पहुंचा दिया.

मोहम्मद हसनैन ने बताया कि भारत में वह पत्रकारिता के पेशे से जुड़े थे और दिल्ली से आठ पन्नों का एक साप्ताहिक अखबार 'चार्जशीट' निकाला करते थे, जिसका नाम बाद में बदल करके 'द मीडिया प्रोफाइल' रख दिया गया था.

मोहम्मद हसनैन का जन्म झारखंड के शहर जमशेदपुर में साल 1957 में हुआ लेकिन उनका कहना है कि वह पिछले कई साल से दिल्ली में रह रहे हैं.

1989 में उनकी शादी हुई जो पौने चार साल चली. उस शादी से हुए दो बेटों में से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा बेटा इसहाक अमीर उनकी इकलौती संतान हैं.

मोहम्मद हसनैन की दो बहनें जैबुन्निसा और कौसर हैं. बड़ी बहन जैबुन्निसा उनसे 21 साल बड़ी हैं और झारखंड में ही रहती हैं जबकि छोटी बहन कौसर लखनऊ की निवासी हैं.

इकतीस साल के इसहाक अमीर ने बताया कि वह मदरसे जाते थे जहां उन्होंने कुरान पढ़ना सीखा और कंठस्थ किया. उनके पिता उन्हें आलिम-ए-दीन (धार्मिक विद्वान) या वकील बनना चाहते थे लेकिन 10वीं और 12वीं के बाद वह रोजगार में लग गए. वह अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गए लेकिन उन्होंने दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से 10वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त की.

इसहाक के मुताबिक उन्होंने 2014 से 2019 तक डीन ब्रॉडबैंड के नाम से एक कंपनी में काम किया. उन्होंने इंडस्ट्रियल सेफ़्टी मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया था और अप्रैल 2021 से 15 अक्टूबर 2021 यानी लगभग छह महीने तक दुबई की एक कंपनी में सेफ़्टी इंस्पेक्टर की नौकरी भी की. 2021 में वापस भारत आने के बाद नाईगोस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट का कोर्स भी किया.

इसहाक अमीर ने बताया कि अबू धाबी की एक कंपनी ने उन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया था जिसकी तनख्वाह चार हजार दिरहम थी और 10 सितंबर 2023 को ही नौकरी शुरू करनी थी लेकिन उनके अनुसार, ''हमने हिजरत (भारत छोड़ने) का एक पूरा प्लान बना रखा था.''

''वालिद साहब ने कहा था कि इस देश में नहीं रहना तो पांच सितंबर को हमने टिकट कर लिया. पिताजी ने कहा कि एक बार कोशिश करते हैं. अबू धाबी से अफगानिस्तान चलकर देखते हैं, शायद कुछ हो जाए.''

मोहम्मद हसनैन, एम. हसनैन नाम से लिखते हैं. उनके अनुसार वह दिल्ली में अपना साप्ताहिक अखबार 'द मीडिया प्रोफाइल' निकालने के अलावा एक कोचिंग सेंटर भी चलाते रहे हैं.

इसमें वह युवाओं को अंग्रेजी भाषा सिखाते थे और वकालत की शिक्षा के लिए तैयार करते थे.

यही वजह थी कि वह अपने बेटे इसहाक अमीर को भी वकील बनना चाहते थे लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. मोहम्मद हसनैन खुद को एक सोशल और पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं और संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ चुके हैं हालांकि उन्हें कहीं कामयाबी नहीं मिली.

ऐसी जानकारी है कि उस दौर में उन पर कुछ मामले भी बने जिनमें उन पर कथित तौर पर भड़काऊ पोस्टर चिपकाने का आरोप भी शामिल है.

मोहम्मद हसनैन और इसहाक अमीर के अनुसार वह पिछले पंद्रह-बीस साल से दिल्ली के इलाके जाफराबाद में किराए के मकान में रहते थे और उनका आखिरी डेरा गौतमपुरी में था. मोहम्मद हसनैन खुद को सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बताते हैं. वो भारत में संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय स्तर का चुनाव लड़ चुके हैं.

इन दोनों बाप-बेटों के पाकिस्तान जाने के फैसले पर भारत में उनसे परिचित कम से कम तीन लोगों ने

बीबीसी से बातचीत में आश्चर्य व्यक्त किया. उनका कहना है कि उन्हें उनके पाकिस्तान जाने के बारे में मीडिया के जरिए खबर मिली.

एमएम हाशमी खुद को मोहम्मद हसनैन का वकील बताते हैं. हाशमी का कहना है कि उन्हें भी उनके पाकिस्तान जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

वह कहते हैं, ''मैं उनका वकील हूं. मुझे बस इतना पता है कि वह अपने बेटे को नौकरी के लिए दुबई लेकर गए थे. इसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं. जब खबर आई तो मुझे मालूम हुआ इसके बारे में.''

पाकिस्तान रवाना होने से पहले जिस पते पर वह रहते थे वहां उनके पड़ोसी भी ताज्जुब करते हैं. वो कहते हैं कि जब मीडिया और पुलिस हसनैन के बारे में पूछने आई तो उन्हें उनके पाकिस्तान जाने के बारे में मालूम हुआ.

एक पड़ोसी का कहना था, ''उन्होंने कहा था कि उनके बेटे को दुबई में नौकरी मिल गई है. वह वहां जा रहे हैं और अगले दस दिनों में वापस लौट आएंगे.''

एक स्थानीय नेता, जिनका दावा है कि उन्होंने हसनैन की राजनीतिक पार्टी के समर्थन से 2017 में स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा था, बताते हैं कि उन्हें भी इसके बारे में अखबार से मालूम हुआ.

वह कहते हैं, ''हमें तो खुद झटका लगा कि वह चले गए.''

वह बताते हैं कि इलेक्शन लड़ने के बाद से उनका हसनैन से विशेष संपर्क नहीं लेकिन हाल ही में उनसे एक छोटी सी मुलाकात हुई थी.

स्थानीय नेता ने पुष्टि करते हुए कहा कि फंड्स की कमी की वजह से उनका अखबार भी लगभग पांच साल पहले बंद हो गया था.

जिस पते पर हसनैन की पार्टी का कार्यालय हुआ करता था उसके आसपास के लोगों का कहना है कि पार्टी कुछ साल पहले खत्म हो गई थी.

निर्वाचन आयोग को जमा करवाए गए पते पर पार्टी का नाम और उनके अखबार के पुराने नाम के बैनर को 'गूगल स्ट्रीट व्यू' में देखा जा सकता है.

उर्दू और हिंदी भाषा में छपने वाले उनके साप्ताहिक अखबार के पन्नों की कॉपियां, जो फेसबुक पर उपलब्ध हैं, भारत में मुसलमानों की शिकायत और दुख-दर्द को उजागर करती हैं.

निर्वाचन आयोग को जमा करवाए गए शपथ पत्र से स्पष्ट होता है कि उन्होंने सन 2013 के दिल्ली विधानसभा (सीलमपुर सीट) और 2014 के संसदीय चुनाव में (नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में) भाग लिया था. इसमें उन्हें 571 और 879 वोट मिले थे.

चुनावी पारदर्शिता की वकालत करने वाले संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने 2004 और 2009 के संसदीय चुनाव में भी हिस्सा लिया था.

उनके चुनावी शपथ पत्र से मालूम होता है कि उन पर आईपीसी के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शन वाले पोस्टर चिपकाने के बाद जेल भेज दिया गया था. यह स्पष्ट नहीं है कि वह कितने समय तक जेल में रहे.

एडवोकेट एमएम हाशमी पुष्टि करते हैं कि उनके विरुद्ध तीन मुकदमे दर्ज थे.

उन्होंने कहा, ''एक में वह बरी हो चुके हैं, एक में चार्ज फ्रेम नहीं हुए और एक में चार्जशीट फाइल नहीं हुई.''

वह कहते हैं कि ये सभी राजनीतिक मामले थे, कोई फौजदारी केस नहीं था. उन्होंने इसके बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया.

पाकिस्तान को क्यों चुना?

मोहम्मद हसनैन ने बीबीसी से कहा, ''देखें यह कोई अचानक या बिना सोचे समझे लिया गया फैसला नहीं कि एकदम से कोई बात हो और हमने कहा कि अब चलो यहां से.''

उन्होंने बाबरी मस्जिद से संबंधित अदालत के फैसले का हवाला दिया, साथ ही 'अगले साल होने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी की जीत का इशारा करते हुए आशंका व्यक्त की.'

ध्यान रहे कि दिल्ली में मोहम्मद हसनैन जिस संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे थे, वहां 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें पचास से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर संख्या मुसलमानों की थी.

मोहम्मद हसनैन ने बताया, ''कोई त्योहार का दिन हो और त्योहार के दिन हमारे हिंदू भाई तिलक लगाकर आते हैं तो बड़ी आसानी से पहचान हो जाती है कि ये हिंदू हैं और ये मुसलमान हैं. एक बार थोड़ी सी बात बढ़ी तो लोगों ने मुद्दा बना दिया, गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई.''

''बेटे के साथ भी दो-तीन बार ऐसा हुआ तो उन हालात से दुखी होकर हमें लगा कि हमें देश छोड़ देना चाहिए.''

लेकिन इन दोनों बाप-बेटे ने किसी और देश जाने की बजाय पाकिस्तान का चुनाव ही क्यों किया? हमारे इस सवाल पर मोहम्मद हसनैन बोले, ''देखें, हम तो पैसे वाले लोग नहीं थे कि किसी देश में जाकर दस-पांच करोड़ खर्च करके नागरिकता खरीद लेते.''

''हमारे पास पाकिस्तान का ही ऑप्शन था कि जहां के लोग हमारी तरह बोलते चालते हैं और जिसको बनाने में हमारे पूर्वजों का भी हिस्सा रहा है.''

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उनका कोई रिश्तेदार नहीं इसलिए उन्हें वीजा नहीं मिल सकता था.

''ख़्याल यही था कि पर्यटक वीजा लेकर चलेंगे और फिर वहां पर शरण ले लेंगे. जब वहां (पाकिस्तान दूतावास) से इनकार हो गया तो हम पता करने लगे कि क्या हो सकता है. इस तरह दो-तीन साल बीत गए. फिर हमें अचानक मालूम हुआ कि अगर आप दुबई चले जाएं और वहां से अफगानिस्तान का वीजा मिल सकता है.''

एक वीडियो में मोहम्मद हसनैन 'मुंबई कम्यूनल फेसेस विद महेश भट्ट' नाम के एक कार्यक्रम में शिरकत करते दिखते हैं. ये वीडियो द मीडिया प्रोफाइल के यूट्यूब चैनल पर आठ साल पहले पोस्ट किया गया है.

हसनैन के अखबार के नाम से जुड़े एक अकाउंट से 2016 में ऑनलाइन एक वीडियो अपलोड किया गया है. इस वीडियो में उन्हें अपने इलाके में पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है.

2017 में अपलोड किए गए एक और वीडियो में वह मुसलमानों के शोषण पर भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें वह कहते हैं कि सेक्यूलर होने का दावा करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी मुसलमानों को निराश किया है. इसके अलावा 2015 में अपलोड किए गए एक वीडियो में वह फिल्म निर्देशक महेश भट्ट के साथ एक प्रोग्राम में शामिल हैं जिसमें वह उनके किसी फिल्म को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सेक्युलरिज्म और सांप्रदायिकता के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो में वह महेश भट्ट की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वह दोनों धर्म के लोगों की मानसिकता को अच्छी तरह से समझते हैं लेकिन वह भी बहुत ही सावधानी से काम करने पर मजबूर हैं. इसके जवाब में कैमरे में महेश भट्ट मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं.

मोहम्मद हसनैन कहते हैं, ''आपकी नीयत पर शक नहीं यह (आपकी) मजबूरी है. इस देश के हिंदू बुद्धिजीवी को इतना डर है, यह मजबूरी है.''

पंद्रह मिनट के इस वीडियो के दौरान वह भारतीय मुसलमानों की शिकायतों के बारे में व्यापक पैमाने पर बात करते हैं.

25 सितंबर को ये दोनों भारतीय नागरिक कराची प्रेस क्लब पहुंचे और भारत में मुसलमानों पर अत्याचार के विरुद्ध प्रदर्शन किया जिसके बाद से उनके पाकिस्तान आने की खबर आम हुई.2020 में हुए दिल्ली दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई. दिल्ली के जिस इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनमें वो जगह भी शामिल थी जहां से मोहम्मद हसनैन ने लोकसभा चुनाव लड़ा था.

पाकिस्तान में नागरिकता नहीं मिली तो...

मोहम्मद हसनैन और इसहाक स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वह वापस भारत नहीं जाना चाहते लेकिन अगर पाकिस्तान ने उन्हें शरण और नागरिकता न दी तो वो क्या करेंगे?

इसहाक अमीर बोले,''हम तो केवल शरण चाह रहे हैं. हमारा मकसद यहां पर घर या नौकरी मांगना नहीं. मैं अभी युवा हूं, मैं ड्राइविंग कर सकता हूं, रोटी बना सकता हूं. बाहर बहुत सारे मजदूरी वाले काम हैं, वह कर सकता हूं.''

''वालिद साहब पढ़ा सकते हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूं. कुरान तो पढ़ा सकता हूं. मैंने हिफ़्ज किया (कुरान कंठस्थ) है. बस शरण चाहते हैं, वापस नहीं जाना चाहते.''

''गोली मार दें, जेल में डालकर सड़ा दें, कोई दिक़्क़त नहीं. अगर आपको नहीं रखना तो वापस न भेजें बल्कि अपने पास किसी जेल के कोने में डाल दें, किसी पिंजरे में बंद कर दें, वह भी मंजूर है.''

मोहम्मद हसनैन का कहना था, ''मैं इस देश में जीने के लिए नहीं आया हूं. मैं इस देश में सुकून के साथ मरने के लिए आया हूं. कोई जीने की तमन्ना नहीं अब.''

उन्होंने सीमा हैदर मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सीमा को वहां की सरकार कबूल कर सकती है तो पाकिस्तान सरकार को मुझे कबूल करने से दुनिया की कौन ताकत रोकती है.''

शिवाजी पार्क में दशहरा सभा आयोजित करने पर अड़े शिवसेना के दोनों गुट, क्या है सीएम शिंदे का 'प्लान बी'?

महाराष्ट्र : ऐसा देखा जा रहा है कि शिवसेना के दोनों गुट इस साल का दशहरा मेलावा शिवाजी पार्क मैदान में आयोजित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. दोनों गुट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दशहरा सभा शिवाजी पार्क में ही होनी चाहिए. शिंदे की शिवसेना और ठाकरे गुट दोनों ही मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सौंपे गए आवेदन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इसके इंतजार में ही शिवसेना शिंदे गुट ने इस दशहरा समागम के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है.

दोनों गुटों में से किसे मिलेगी अनुमति?

अगर पिछली बार की तरह इस बार भी दशहरा मेले के लिए शिवसेना शिंदे गुट को शिवाजी पार्क मैदान नहीं मिला, तो इस साल दशहरा मेला कहां आयोजित होगा? इसलिए इसके लिए बीकेसी ग्राउंड और महालक्ष्मी रेस कोर्स के बीच के मैदान पर पहले ही विचार किया जा चुका है. पिछले वर्ष आयोजित बीकेसी एमआरडीए मैदान में विकास कार्य चल रहा है. इसलिए इस वर्ष वहां बैठक नहीं हो सकेगी. पास के एक अन्य बीकेसी मैदान पर

जहां महा विकास अघाड़ी ने पहले अपनी वज्रमूठ बैठक आयोजित की थी, अब उस पर शिवसेना शिंदे गुट की दशहरा बैठक के लिए विचार किया जा रहा है. यह भी कहा गया कि दोनों गुट मुंबई नगर निगम की भूमिका पर नजर रख रहे हैं और उसके बाद दशहरा मेलावा के संदर्भ में उनकी अगली रणनीति तय की जाएगी.

BMC के आदेश का इंतेजार

इस साल का दशहरा समागम आगामी लोकसभा विधानसभा मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है. सत्ता में रहते हुए शिवसेना के शिंदे गुट ने जो काम किया, उसका लेखा-जोखा सामने रखा जा सकता है. इसके अलावा, दशहरा मेला का मतलब एक तरह से चुनाव से पहले दोनों गुटों के लिए शक्ति प्रदर्शन होगा, इसलिए राज्य के विधायकों, सांसदों, कार्यकताओं और पदाधिकारियों के लिए मुंबई आना सुविधाजनक होगा. प्लान बी दशहरा मेले के लिए शिवसेना शिंदे गुट द्वारा शिवाजी पार्क छोड़कर जाने की योजना बनाई जा रही है. इस दशहरा सभा में हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, इसके लिए बीकेसी मैदान और रेसकोर्स मैदान की लोकेशन का परीक्षण किया जा रहा है.

दशहरा सभा के लिए प्लान बी तैयार?

दशहरा सभा के लिए जहां शिवसेना के दोनों गुट मैदान में उतर चुके हैं, वहीं शिवाजी पार्क मैदान को अपने-अपने गुट के लिए हासिल करने के लिए एक बार फिर दोनों गुटों में संघर्ष देखने को मिल रहा है. दशहरा मेले के लिए शिवाजी पार्क लेने के लिए दोनों गुटों ने एक महीने पहले बीएमसी डिविजनल कार्यालय को पत्र भेजा है. अब इस पत्र पर फैसला लेने से पहले मुंबई नगर निगम विधि विभाग से मार्गदर्शन ले रही है. हालांकि, यह फैसला लेने के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने दशहरा सभा के लिए प्लान बी तैयार किया है.

एक गलती और आधा ट्रक हवा में, ड्राइवर-क्लीनर की जान सांसत में...

करुल घाट में टेम्पो जानलेवा हादसा!

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग के करुल घाट पर आयशर टेम्पो भयानक हादसे का शिकार हो गई. यह भगवान की कृपा ही है कि आयशर घाटी में जाने से बच गया, इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है. हादसा शाम 7 बजे हुआ. यह दुर्घटना वैभववाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की गई थी. इसलिए चालक का नाम पता नहीं चल सका। आयशर टेंपो वैभववाड़ी से कोल्हापुर जा रहा था. पूरे दिन हो रही बारिश के कारण चालक के नियंत्रण खोने के बाद आयशर दाहिनी ओर घाटी में जा गिरी। आयशर का ड्राइवर वाला हिस्सा घाटी के ऊपर लटका हुआ था। आयशर की लाइट जल रही थी. हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बाल-बाल बच गए। जनहानि होने से बच गई। इस मार्ग पर यात्रा कर रहे वाहन

चालकों ने दूसरे वाहन को रस्सी से बांधा और आयशर को वापस सड़क पर खींच लिया। देर तक वैभववाड़ी थाने में दुर्घटना की सूचना नहीं दी गई।

फिलहाल कोंकण में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। बरसात के मौसम में घाटों पर दुर्घटना की घटनाएं अधिक होती हैं. मानसून के दौरान ओवरलोड गाड़ियों पर ब्रेक भी नहीं लगता, इसलिए करुल घाट में कई दुर्घटनाएं होती हैं। जिले में चार घाट मार्ग हैं, अर्थात अंबोली, फोंडाघाट, करुल और भुईबावड़ा। इसमें से अधिकांश यातायात करुल घाट मार्ग पर है। साढ़े ग्यारह किमी. ये घाटमार्ग है. यह घाटमार्ग सर्पीन मोड़ों, गहरी घाटियों, बड़े पहाड़ों की भौगोलिक संरचना से बना है। पिछले मानसून के दौरान खड्ड टूटने और सुरक्षात्मक तटबंध टूटने के कारण यह घाट मार्ग कई बार अवरुद्ध हुआ था। सिंधुदुर्ग से कोल्हापुर या कोल्हापुर से सिंधुदुर्ग तक का अधिकांश यातायात इसी घाट मार्ग से होकर गुजरता है। वहीं सड़क भी कई जगहों पर जर्जर है, साइट स्ट्रिप भी अच्छी स्थिति में नहीं है. इसलिए अब भी यातायात किसी तरह चल रहा है. ऐसे में यह घाट मार्ग दोबारा कब बनेगा और इससे वाहन चालकों को कैसे मुक्ति मिलेगी, इस पर सभी वाहन चालक ध्यान दे रहे हैं।

मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चेकपोस्ट पर BMW कार ने CISF अधिकारी को रौंदा, हालत

मुंबई : मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चेकपोस्ट पर बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आने से सीआईएसएफ अधिकारी राहुल सुरेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। बीएमडब्ल्यू कार में पांच लोग सवार थे। मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 279,338 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले भाजपा के एक पूर्व विधायक के बेटे तक्षिल मेहता की लेम्बोर्गिनी कार मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर लगी रेलिंग से टकरा गई। यह घटना तब घटी जब मीरा-भायंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के बेटे तक्षिल मेहता की कार ने सड़क पर नियंत्रण खो दिया। विधायक के बेटे के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है।

नागरिकों का धन्यवाद : आयुक्त

विरार : वसई-विरार शहर में गणेशोत्सव मुंबई महानगरीय क्षेत्र की अन्य नगर पालिकाओं की तुलना में सबसे अधिक पर्यावरण-अनुकूल बन गया है। कुल विसर्जन का 60 प्रतिशत भाग कृत्रिम तालाबों में हुआ है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नगर पालिका द्वारा की गई अपील पर वसईकर के नागरिकों द्वारा दी गई जबरदस्त प्रतिसाद के कारण, वसई- विरार शहर में गणेशोत्सव भी सबसे अधिक पर्यावरण-अनुकूल बन गया है। कई लोगों ने शाडू मूर्ति का उपयोग किया, जबकि कई लोगों ने घर पर ही विसर्जन का विकल्प चुना। इसके चलते मनपा आयुक्त अनिल कुमार पवार ने वसईकर नागरिकों, सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, मंडलों के पदाधिकारियों और इस गतिविधि में भाग लेने वाले सभी लोगों के प्रति सार्वजनिक धन्यवाद व्यक्त किया।

पालघर जिला परिषद स्कूल की चौकाने वाली तस्वीर आई सामने...

क्लासरूम में किताबो की जगह ताश खेलते नजर आए

पालघर : शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें तमाम दावे करती रहती हैं। इसके बावजूद पालघर के सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। शिक्षा के मंदिर में ही छाए घोर अंधेरे की एक और शर्मसार कर देने वाली तस्वीर तलासरी इलाके से सामने आई है। डिजिटल इंडिया के जश्न के बीच यहां जिला परिषद के एक सरकारी स्कूल के बच्चों का कक्षा में ही हुआ खेलने का सनसनी खेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है, कि स्कूल में एक ही शिक्षक है और उन्होंने अपनी जगह खुद एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए रख लिए और बिना किसी छुट्टी के गांव चले गए।

तलासरी तालुका के सूत्रकार डोंगरपाड़ा में पहली से चौथी तक जिला परिषद स्कूल है। इस स्कूल में एक ही शिक्षक है। स्कूल में कार्यरत शिक्षक ने खुद ही बिना किसी मंजूरी के 300 रुपए रोजाना के मानदेय पर एक सेवा निवृत्त शिक्षक को रखकर वह अपने गांव चले गए। सेवा निवृत्त शिक्षक भी किसी कार्य से स्कूल से बाहर गए थे।

भू माफियाओं द्वारा खनन कार्य से पहाड़ की मिट्टी खिसक गई, पवई में इर्शालवाड़ी जैसी घटना का डर

मुंबई, तीन महीने पहले महाराष्ट्र के रायगड जिले में स्थित इर्शालवाड़ी गांव में लैंड स्लाइड से २० से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई घर तबाह हो गए थे, कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अगर इर्शालवाड़ी जैसी घटना मुंबई में घटे तो सोचिए स्थिति कितनी भयावह होगी? जी हां, मुंबई के पवई इलाके में रहनेवाले लोग इस समय इसी डर के साए में जी रहे हैं। यहां स्थित पहाड़ी धीरे-धीरे दरक रही है। जिसके बाद स्थानीय लोग यहां संरक्षण दीवार बनाने की मांग कर रहे हैं।

पवई के साकी विहार तुंगा इलाके के रास्ते में स्थित पहाड़ी का भाग धीरे-धीरे खिसकने से रहिवासियों में भय का माहौल बना हुआ है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि तीन वर्ष पहले मनपा ने न्यू रहेजा रोड के विस्तारीकरण के दौरान पहाड़ी का आधा भाग तोड़ दिया और आधा भाग उसी तरह खड़ा है क्योंकि आधे भाग में टाटा पावर का हाइटेंशन टावर खड़ा है। इस वर्ष तेज बरसात और स्थानीय भू माफियाओं द्वारा खनन कार्य से पहाड़ की मिट्टी खिसक गई है। जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। स्थानीय नागरिकों ने इसी दुर्घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन से संरक्षण दीवार बनाने व अवैध रूप से खनन करनेवालों के खिलाफ कारवाई की मांग की है।

सब-इंस्पेक्टर परीक्षा में हुई फेल तो बन गई फर्जी थानेदार

RPA में ली ट्रेनिंग, झाड़ने लगी वर्दी का रौब, मिलिए नकली थानेदार से!

जयपुर,संवाददाता माही

ट्रक ड्राइवर की बेटी सब-इंस्पेक्टर परीक्षा में पास नहीं हुई तो फर्जी थानेदार बनकर राजस्थान पुलिस को ऐसा चकमा दिया की पुलिस के होश फाख्ता हो गए। बिना पुलिस की भर्ती परीक्षा पास किए राजस्थान पुलिस एकादमी में 2 साल तक पुलिस की ट्रेनिंग तक लें ली। यही नहीं सोशल मीडिया पर वर्दी पहन पुलिस के बड़े-बड़े अफसरों के साथ फोटो और वीडियो शेयर करने वाली फर्जी थानेदार वर्दी की धौंस में असली थानेदारों तक को धमका देती लेकिन जब राज खुला और थाने में रिपोर्ट हुई तो अब भागी-भागी फिर रही है। शास्त्रीनगर थानाधिकारी किशोर सिंह ने संवाददाता को बताया कि आरपीए के संचित निरीक्षक रमेशसिंह मीणा ने बीते 29 सितंबर को मोना बुगालिया नाम की युवती के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया गया है कि मोना 11 सितंबर से 23 सितंबर तक सेंडवीच कोर्स में फर्जी सब-इंस्पेक्टर बनकर ट्रेनिंग करने पर आईपीसी की धारा 419,468,469 व .... 66DIT ACT और धारा 61 राजस्थान पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया कि नागौर जिले के निम्बा के बास की रहने वाली मोना बुगालिया सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। तीन साल पहले जब परिणाम आया तो मोना ने खुद के सब-इंस्पेक्टर में

चयनित होने की झूठी खबर गांव में फैला दी। इसके बाद राजस्थान पुलिस एकेडमी में असली चयनित सब इंस्पेक्टर के बैच 48 की ट्रेनिंग 9 जुलाई 2021 से 4 सितंबर 2022 तक हुई। इसके बाद 5 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2023 तक फील्ड ट्रेनिंग हुई।

सब-इंस्पेक्टर में चयनित होने की झूठी खबर गांव में फैलाई

ठीक इसी के आस पास स्पोर्ट्स कोटे के भी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन फर्जी मोना इतनी शातिर थी की बाकी केंडिडेट्स को गुमराह कर दोनों को अलग अलग जानकारियां देकर दो साल तक फर्जी तरीके से पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग लेती रही।

इसका **RPA** के किसी भी अधिकारी को मोना पर शक तक नहीं हुआ। मोना आरपीए ट्रेनिंग सेंटर में अलग-अलग बैच के केंडिडेट्स के ट्रेनिंग करने के कंन्फ्यूजन का फायदा उठा धौंस जमाने लगी। लेकिन एक दिन सब इंस्पेक्टर के व्हाट्सअप ग्रुप में किसी टॉपिक को लेकर चर्चा हुई तभी मोना ने दूसरे सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलवाने की धमकी दी।

सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलवाने की धमकी

इस बहस के बाद सब इंस्पेक्टर ने उच्च स्तर पर शिकायत की तो मोना के बारे में जांच पड़ताल हुई लेकिन बैच में मोना का दूर-दूर तक नाम तक नहीं था। जबकि वो थानेदार की वर्दी पर वीआईपी ट्रीटमेंट तक लेने लगी। यही नहीं पूर्व डीजीपी से लेकर वर्तमान एडीजी क्राइम तक के साथ तस्वीरें खिंचवा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुर्खियों में आ गई लेकिन यही झूठी लाइमलाइट अब उसके लिए मुसीबत बन गई है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

दवाओं को खरीदने में सक्षम न होने के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं कई मरीज

मुंबई, अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी है। सूत्रों के मुताबिक, घाती सरकार से निधि नहीं मिलने के कारण हाफकिन से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है। इसके चलते राज्यभर के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी हो गई है। ऐसे में चौंकानेवाली जानकारी यह सामने आ रही है कि गंभीर हालत वाले मरीजों को समय पर दवा नहीं मिलने के कारण जान गवांनी पड़ रही है। मरीजों को बाहर के निजी अस्पतालों से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। ये बात सामने आ रही है कि दवाओं को खरीदने में सक्षम न होने के चलते कई मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब घाती सरकार की आंखें खुलेंगी अथवा राज्य के ठाणे, नांदेड़ और अब छत्रपति संभाजी नगर में स्थित सरकारी अस्पतालों में इसी तरह बेगुनाह मरीजों की मौतों का नजारा देखती रहेगी।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शहर ठाणे, फिर नांदेड़ और अब छत्रपति संभाजीनगर सरकारी अस्पताल से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पूरे मराठवाड़ा के हर दिन हजारों गरीब मरीजों का बोझ उठाने वाले संभाजीनगर के घाटी अस्पताल में २४ घंटे में १० मरीजों की मौत हुई है, जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि घाटी अस्पताल छत्रपति संभाजीनगर का एक बड़ा और महत्वपूर्ण अस्पताल है। इस अस्पताल पर न केवल मराठवाड़ा बल्कि आस-पास के १२ से १४ जिलों के गरीब मरीज निर्भर हैं। सूत्रों के मुताबिक, घाटी अस्पताल में भी सिर्फ १५ दिनों के लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है।

बीते माह नंदूरबार के सिविल अस्पताल में पिछले तीन महीने की अवधि में १७९ बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। आंकड़ों के मुताबिक, नंदूरबार जिले में जुलाई में ७५ मौतें, अगस्त में ८६ मौतें और सितंबर में १८ मौतें हुई थीं। इन मौतों के प्रमुख कारण जन्म के समय कम वजन, जन्म के समय दम घुटना, सेप्सिस और श्वसन संबंधी बीमारियां बताई गईं। ७० फीसदी मौतें ०-२८ दिन के शिशुओं की थीं।

महाठग रवी राजन पांडीयन...

(पेज १ का शेष....) उस वक्त पांडियन अपने साथियों के साथ बैंक वालो के साथ हाथा पाई करने की फिराक में था। मामले की गंभीरता को देखते हुये महिला ने आनन फानन में पुलिस की मदत लेकर बैंक कर्मचारियों की जान बचाई। इसी के साथ फिर पांडियन ने महिला से यह कहना शुरू किया कि अब तुम मेरा मकान खाली कर दो। रुपए वापस मांगने पर पांडियन ने साफ शब्दों में यह कह कर मना कर दिया कि मै तुम्हे रुपए नही दूंगा, तुम्हे जो करना है कर लो। जहां जाना है। जाओ मुझे कोई फर्क नही पड़ेगा।

महिला के अनुसार दिनांक ११/११/२०२१ के रोज महिला और उनके पति ने मिल कर पांडियन से मकान के लिये दिये हुये अपने डिपोजिट के तिस लाख रुपए वापस मांगने के लिए एक लिखित नोटिस दिया। इस नोटिस का भी पांडियन पर कोई असर नही हुआ। उसके बाद पांडियन ने महिला को, उसके परिवार वालो को जान से मारने की धमकी दी। और कुछ दिनों बाद पांडियन महिला से यह कहने लगा कि अब तुम मकान खाली कर दो। मेरी तरफ से तुम्हे कोई रुपए नही मिलने वाले है। पांडियन ने अपने शैतानी दिमाग में पहले से यह बिठा रखा था कि वह महिला को रुपये दिये बिना मकान खाली करा लेगा । इसके लिये पांडियन ने कई प्रकार के घिनौने हथकंडे अपनाये उनमे से पांडियन का एक हथकंडा ऐसा था कि महिला का पूरा परिवार या तो कई सालो तक जेल में रहता या फिर मजबूरी में आत्महत्या कर लेते लेकिन महिला और उनके परिवार ने हिम्मत नही हारी और महिला और उनके परिवार वालो को अब यह उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका पर इन परिवार को इतना विश्वास है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसी के साथ उनके अपने दिये हुये 30 लाख रुपए भी वापस मिलेगे ।

इसी बीच पांडियन के ऑफिस में आते-जाते महिला की कई लोगों से जान पहचान हो गई. धीरे-धीरे महिला को यह पता चलने लगा कि पांडियन एक धोखेबाज और मक्कार आदमी है. इसका यह धंधा है कि समाज सेवा की आड में लोगों से मकान का लालच दिखाकर रूपयों की धोखाधडी करके लूटपाट करता है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार महिला ने जब पांडियन पर मकान हासिल करने के लिए दबाव बनाते हुए पुलिस थाने में जाने कि बात कही इस पर पांडियन ने महिला से कहा कि, तुम्हें जो करना है करो मुझे कुछ फरक नहीं पडता. मैं १५ दिनों में जेल से छुट कर आ जाउंगा. तुम्हारा पैसा डुब जाएगा. यह सुनकर महिला ने पुलिस थाने में शिकायत करना उचित समझा और महिला ने स्थानीय आर.सी.एफ. पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई. आर.सी.एफ.पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री मुरलीधर करपे ने महिला की सच्चाई और सबूतों के आधार पर पांडियन पर धोखाधडी करने के आरोप में आय.पी.सी.की धारा ४२० के तहत मामला दर्ज किया. दि. ४अक्टुबर २०२३ के रोज पांडियन को हिरासत में लिया. जानकारी के अनुसार पांडियन एक बहरूपिया है जो अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का तरीका बनाए हुए है.

बताया जाता है कि, लोगों को एक खाली जगह दिखाकर उन्हें एक अच्छी सोसायटी में आलिशान जिंदगी जीने का सपना दिखाता है और उन जरूरतमंदों को एक सहुलियत के तौर पर उन्हें रुपए ना भरने की सलाह देते हुए यह कहता है कि मेरी अपनी बैंक ब्लू पिपल्स को. ऑ.पतपेढी (बैंक) से मकान का पुरा लोन कराने का आश्वासन देता है और जरूरतमंदो से उनका आधार कार्ड, पैनकार्ड और राशन कार्ड इस तरह के और कई कागजपत्र लेकर अपनी ही पतपेढी से उनके नाम पर लोन पास कर देता है. इसके बाद उपभोक्ता को यह आश्वासन देता है कि, आपका लोन पास हो गया है. अभी आपको अगले महिने से इतने-इतने रुपएहर महिने की इतनी तारीख को बैंक में भरना है. उपभोक्ता यह सोचकर बैंक का लोन भरता है कि धीरे धीरे बैंक की रकम अदा हो जाएगी और इसीके साथ हमारा मकान भी हमें समय पर मिल जाएगा. लेकिन उपभोक्ता को यह पता नहीं होता है कि पांडियन ने उपभोक्ता के साथ इतना बडा धोखा किया है. इस तरह से आज लगभग ३५० से लेकर करीबन ५०० लोगों के साथ पांडियन ने अपनी ही पतपेढी से उपभोक्ताओं के नाम पर लोन पास कराकर उनसे इस तरह की धोखाधडी करता आ रहा है. धीरे धीरे लोगों को पांडियन की इस करतूत का पता चलने पर लोग अपनी शिकायत को लेकर पुलिस विभाग से न्याय की अपेक्षा कर रहे है. खबर लिखे जाने तक कुल २७ मामले दर्ज हो चुके है. पांडियन के करीबी लोगों का कहना है कि पांडियन एक मक्कार और घोखेबाज व्यक्ती है. पांडियन के पास आज लगभग माहुल गांव के एस.आर.ए. बिल्डिंग में २०० मकान कब्जे में है. इतने मकान पांडियन के पास कहां से आए? पांडियन इतने मकान का मालिक अचानक कैसे बना और पांडियन अपने मकान और ऑफिस के दीवारों पर कई बडे नेताओं और आई.पी.एस. अधिकारियों के साथ फोटो एडिट करके लोगो के मन में एक तरह से डर दिखाता है. कई लोग तो उसके घर और ऑफिस में लगी हुई तस्वीरों को देखकर शिकायत करने से पीछे हट जाते है.

यह समाचार पत्र मासिक महाराष्ट्र क्राईम्स मालिक, मुद्रक प्रकाशक सिराज चौधरी द्वारा राजीव प्रिंटर्स, ४९६, पंचशील नगर१, नागसेन बुद्ध मंदिर रोड नं३, तिलक नगर, चेम्बुर, मुंबई४०००८९ से मुद्रित करवा कर ८/ऐ/१६९/२७०२/टागोर नगर, विक्रोली (पू), मुंबई४०००८३ से प्रकाशित किया । RNI NO. : MAHHIN/1998/02261
संपादक सिराज चौधरी मो. ७७७७०६०६८७ www.maharashtracrimes. in / www.maharashtracrimes. blogspot. in Email : editor@maharashtracrimes. in / maharashtracrimes@gmail. com